

रिपोर्ट पटवारी बागोलिया व भू.अ. निरीक्षक रायपुर तहसील रायपुर

महोदय जी, निवेदन है कि ग्राम बाड़ी फर्म बागोलिया में जमाबंदी संवत् 2070+73 में अण्डी गेहरीबाई एम. पुत्र धुला एवं बलई बाई या/सेखनरे सेखीगेशन जमाबंदी रयारी में अण्डी गेहरीबाई एम. पुत्र धुला ही गया जो गलत है।

अतः ग्राम बाड़ी फर्म बागोलिया की जमाबंदी सं. 2074+2077 के खारा सं. 108 में दर्ज खेतदान का नाम अण्डी पुत्र धुला के बजाय अण्डी पुत्री धुला, गेहरीबाई पुत्र धुला के बजाय गेहरीबाई पुत्री धुला एवं एम. पुत्र धुला के बजाय एम. पुत्री धुला किया जाना हेतु रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ. नि. पेश है।

*(Handwritten signature)*  
11/10/2021



रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

रि. सं. 108 बागोलिया एवं जम्मा अर्पण रायपुर के अनुसार ग्राम बाड़ी फर्म बागोलिया की जमाबंदी संवत् 2074+77 के खारा सं. 108 में अण्डी पुत्र धुला के बजाय अण्डी पुत्री धुला, गेहरीबाई पुत्र धुला के बजाय गेहरीबाई पुत्री धुला, एम. पुत्र धुला के बजाय एम. पुत्री धुला किया जाना उचित है।

राजस्व  
11.10.2021

आदेश  
कायमिय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला-भीलवाड़ा  
दिनांक 11.10.2021

कमांक / प्रमाण सं. / 2021 / 16 / 2021  
मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हबका, जांच भू.अ. नि. व तहसीलदार व सलान देस्तावेजों के अनुसार ग्राम बाड़ी की जमाबंदी संवत् 2074+77 के खारा सं. 108 में सह खातेदारान कमाश: अण्डी पुत्र धुला, गेहरीबाई पुत्र धुला के बजाय कमाश: अण्डी पुत्री धुला, गेहरीबाई पुत्री धुला व एम. पुत्री धुला के नाम श्रुति किया जाकर, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्जाज किया जावे।

11.10.2021  
खण्ड अधिकारी सी  
उपखण्ड अधिकारी (ग)  
रायपुर भीलवाड़ा

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

प्रार्थीगण अण्छी पुत्री प्रताप वगैरा निवासी बाड़ी तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956

मु0नं0 16 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
दिनांक- 11-10-2021	<p>प्रार्थीगण अण्छी पुत्री प्रताप बलाई वगैरा निवासी बाड़ी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम बाड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074-2077 में शामिल खता संख्या 108 में कित्ता 45 रकबा 6.98 है, भूमि प्रार्थीगण अण्छी पुत्र प्रताप, इन्द्रा पुत्र आसु, नाबालिक गणी पुत्र आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी, पानी पुत्र आसु, मांगी पुत्र प्रताप, रूकमण पुत्र आसु, लेहरी पुत्र आसु, सणगारी पुत्र प्रताप सायरी पुत्र प्रताप नाबालिक हंजा पुत्र आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी बलाई सा. देह के नाम पर सहखातेदारान से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण के नाम अण्छी पुत्र प्रताप, इन्द्रा पुत्र आसु, नाबालिक गणी पुत्र आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी, पानी पुत्र आसु, मांगी पुत्र प्रताप, रूकमण पुत्र आसु, लेहरी पुत्र आसु, सणगारी पुत्र प्रताप सायरी पुत्र प्रताप नाबालिक हंजा पुत्र आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी बलाई अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम अण्छी पुत्री प्रताप, इन्द्रा पुत्री आसु, नाबालिक गणी पुत्री आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी, पानी पुत्री आसु, मांगी पुत्री प्रताप, रूकमण पुत्री आसु, लेहरी पुत्री आसु, सणगारी पुत्री प्रताप, सायरी पुत्री प्रताप नाबालिक हंजा पुत्री आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी बलाई है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बाड़ी के खता संख्या 108 में सहखातेदारान अण्छी पुत्र प्रताप, इन्द्रा पुत्र आसु, नाबालिक गणी पुत्र आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी, पानी पुत्र आसु, मांगी पुत्र प्रताप, रूकमण पुत्र आसु, लेहरी पुत्र आसु, सणगारी पुत्र प्रताप सायरी पुत्र प्रताप नाबालिक हंजा पुत्र आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी बलाई के बजाय अण्छी पुत्री प्रताप, इन्द्रा पुत्री आसु, नाबालिक गणी पुत्री आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी, पानी पुत्री आसु, मांगी पुत्री प्रताप, रूकमण पुत्री आसु, लेहरी पुत्री आसु, सणगारी पुत्री प्रताप, सायरी पुत्री प्रताप नाबालिक हंजा पुत्री आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी बलाई दुरुस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरुस्ती करने की अभिशंषा की गई।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर सहखातेदारान अण्छी पुत्र प्रताप, इन्द्रा पुत्र आसु, नाबालिक गणी पुत्र आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी, पानी पुत्र आसु, मांगी पुत्र प्रताप, रूकमण पुत्र आसु, लेहरी पुत्र आसु, सणगारी पुत्र प्रताप सायरी पुत्र प्रताप नाबालिक हंजा पुत्र आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी बलाई के बजाय अण्छी पुत्री प्रताप, इन्द्रा पुत्री आसु, नाबालिक गणी पुत्री आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी, पानी पुत्री आसु, मांगी पुत्री प्रताप, रूकमण पुत्री आसु, लेहरी पुत्री आसु, सणगारी पुत्री प्रताप, सायरी पुत्री प्रताप नाबालिक हंजा पुत्री आसु सरंक्षक माता सरजुदेवी बलाई के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुन्दर लाल बम्बाड़ा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर</p>